

(भारत के राजपत्र के भाग I, खण्ड-II में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक : 05.07.2022

संकल्प

संख्या ई-11020/2/2019-हिंदी: राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.11/20015/45/87-रा.भा. (क-2) दिनांक 15-3-1988 तथा कार्यालय ज्ञापन सं. 11/20015/6/92-रा.भा. (क-2) दिनांक 10-6-1992 में निहित निदेशों के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन करती है :

पुनर्गठन		
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री		अध्यक्ष
युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री		उपाध्यक्ष
गैर-सरकारी सदस्य		
संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य		
1.	श्री जामयांग त्सेरिंग नामग्याल (लोक सभा)	सदस्य
2.	श्री एल.एस. तेजस्वी सूर्या (लोक सभा)	सदस्य
3.	श्री श्वेत मलिक (राज्य सभा)	सदस्य
4.	श्री बी लिंग्याह यादव (राज्य सभा)	सदस्य
संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित सदस्य		
5.	श्री इरण्ण कडाडि, (राज्य सभा),	सदस्य
6.	श्री हरनाथ सिंह यादव, (राज्य सभा)	सदस्य
केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, 116, टाइप-IV, लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली-110023 का प्रतिनिधि		
7.	श्री प्रवीण सिंह चौहान 573, सेक्टर-8, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110008 मो. 9212085141	सदस्य
अखिल भारतीय हिंदी संस्था/संघ का प्रतिनिधि (राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा)		
8.	डॉ. हेमचन्द्र वैद्य	सदस्य

	‘चित्रकूट’, राधानगर, साबले प्लॉट बैचलर रोड, वर्धा 442001 मो. 09405903278 ईमेल आईडी : drhemchandravaidya@gmail.com	
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य		
9.	प्रो. (डॉ.) हरमोहिंदर सिंह बेदी, चांसलर, कैंप ऑफिस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला, जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश-176215	सदस्य
10.	प्रो. सुधीर प्रताप सिंह, डीन ऑफ स्टूडेंट्स इंटर-हॉल एडमिनिस्ट्रेशन एवं प्रो. सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेज, स्कूल ऑफ लैंग्वेज, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110067 मो. 91-9891293088, 8375814211 ईमेल: sudheerpsingh@gmail.com, sudheer@jnu.ac.in	सदस्य
11.	श्री अंशुल श्रीवास्तव, 708, आदित्य रेजीडेंसी, सचिन तेंदुलकर मार्ग, ग्वालियर, मध्य प्रदेश मो.9826161444 ईमेल: anshul.bjym@gmail.com anshulnri@gmail.com	सदस्य
12.	डॉ. प्रणव कुमार मिश्रा, 6/246, जानकीपुरम विस्तार, लखनऊ-22603 मो. 8707020233 ईमेल: pranavmishra16@gmail.com	सदस्य
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य		
13.	डॉ. सतेन्द्र कुमार शुक्ला, मकान संख्या-30, गली संख्या-3, ई ब्लॉक, पांडव नगर, दिल्ली-110084 मो.+91-7838394898 ईमेल: satendra.shukla1988@gmail.com	सदस्य
14.	डॉ. रुपा च्यारी, जलधारा बिल्डिंग, ए-4, जी-4, माडेल मडगांव, गोवा-403601 मो. 9850152578 ईमेल: rupachari26@gmail.com	सदस्य
15.	डॉ. गोविंद के. नन्दनिया,	सदस्य

	ग्राम-लोएज (वाडी विस्तार), तालुका-मंगरोल, जिला-जूनागढ़, गुजरात । मो. 9428491462, 6354541088 ईमेल: govind.nandaniya455@gmail.com	
सरकारी सदस्य		
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय		
16.	सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
17.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालय		
18.	सचिव (युवा कार्यक्रम), युवा कार्यक्रम विभाग	सदस्य
19.	सचिव (खेल), खेल विभाग	सदस्य
20.	अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार	सदस्य
21.	संयुक्त सचिव (युवा कार्यक्रम), युवा कार्यक्रम विभाग	सदस्य सचिव
22.	संयुक्त सचिव (खेल), खेल विभाग	सदस्य
23.	संयुक्त सचिव (विकास), खेल विभाग	सदस्य
24.	महानिदेशक, नेहरू युवा केन्द्र संगठन	सदस्य
25.	महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण	सदस्य
26.	कुलपति, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर	सदस्य
27.	निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना निदेशालय, नई दिल्ली	सदस्य
28.	निदेशक, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, भीमानथांगल, श्रीपेरम्बुदूर, तमिलनाडु	सदस्य

कार्यक्षेत्र

2. समिति का कार्य संविधान, राजभाषा अधिनियम व नियमों में राजभाषा के संबंध में किए गए उपबंधों, केंद्रीय हिंदी समिति के निर्णयों और राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों/अनुदेशों के कार्यान्वयन के बारे में तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के बारे में सलाह देना होगा ।

कार्यकाल

3. समिति का कार्यकाल समिति के गठन की तारीख से, निम्नलिखित बातों के अध्यधीन, सामान्यतः तीन वर्ष का होगा :-

(क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे ।

(ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक ही समिति के सदस्य रहेंगे ।

(ग) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने अथवा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे देने के कारण खाली हुए स्थान पर मनोनीत सदस्य समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा ।

(घ) समिति के कार्यकाल की अवधि के बीच यदि किसी व्यक्ति को समिति का सदस्य नामित किया जाता है, तो वह समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा ।

मुख्यालय

4. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते

5. गैर-सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए, यात्रा तथा दैनिक भत्ता भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय जापन सं. 11/20034/4/86-रा.भा. (क-2) दिनांक 22 जनवरी, 1987 में निहित निर्देशों के अनुसार दिया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केंद्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

नितेश कुमार मिश्रा

(नितेश कुमार मिश्रा)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा) ।

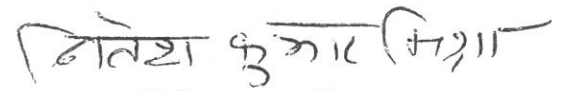
अनुरोध है कि जिस राजपत्र में यह संकल्प प्रकाशित किया जाएगा, उसकी एक प्रति उप निदेशक (राजभाषा), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 को भेजी जाए ।

संख्या ई-11020/2/2019-हिंदी
प्रति प्रेषित :-

दिनांक : 05.07.2022

1. समिति के सभी सदस्य ।
2. सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ।
3. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
6. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
7. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
8. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
9. संसदीय कार्य मंत्रालय, 86-बी, संसद भवन, नई दिल्ली को उनके कार्यालय ज्ञापन सं. 2-40(1)/2000-समिति दिनांक 20 जुलाई, 2020 के संदर्भ में ।
10. संसदीय राजभाषा समिति 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली-11 को उनके कार्यालय ज्ञापन सं. 1501/1/14-समिति-2017 दिनांक 19-12-2019 और दिनांक 5.1.2022 के पत्र सं. 25011/1/2017-समिति-4 के संदर्भ में ।
11. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एनडीसीसी-II भवन, 'बी' विंग, चौथा तल जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
12. संसद पुस्तकालय, नई दिल्ली ।
13. भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
14. महालेखाकार, केंद्रीय राजस्व, नई दिल्ली ।
15. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
16. केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, 116, टाइप-IV, लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली-110023 को उनके पत्र सं. 4/1/2019-परिषद/ हिसस/246 दिनांक 23.10.2019 के संदर्भ में ।
17. अखिल भारतीय हिंदी संस्था/संघ, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा, हिंदी नगर, वर्धा-442003 को उनके पत्र सं. प्रचार/युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय/फा.23 दिनांक 11.11.2019 के संदर्भ में ।
18. सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली-110001 को इस अनुरोध के साथ कि भारत सरकार के उपर्युक्त निर्णय के संबंध में कृपया एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाए ।
19. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री के निजी सचिव ।
20. युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री के निजी सचिव ।
21. सचिव, (युवा कार्यक्रम) युवा कार्यक्रम विभाग के प्रधान निजी सचिव ।
22. सचिव (खेल), खेल विभाग के निजी सचिव ।

23. संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के निजी सचिव ।
24. संयुक्त सचिव (युवा कार्यक्रम), युवा कार्यक्रम विभाग के प्रधान निजी सचिव ।
25. संयुक्त सचिव (खेल), खेल विभाग के प्रधान निजी सचिव ।
26. संयुक्त सचिव (विकास), खेल विभाग के प्रधान निजी सचिव ।
27. वेतन एवं लेखा अधिकारी, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ।
28. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग/प्रभाग/एकक ।
29. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सभी अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालय/ स्वायत्तशासी निकाय ।
30. निदेशक, एनआईसी, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ कि इस संकल्प को मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला जाए ।



(नितेश कुमार मिश्रा)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार